भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 427

02 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए

आंध्र प्रदेश में सीआरसीएफवी

427. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी:

क्या मत्स्यपालन**,** पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में दो गांवों-सोरलंगोंधी और गुल्लालमोड़ा की पहचान जलवायु अनुकूल तटीय मछुआरा गांवों (सीआरसीएफवी) के अंतर्गत की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सीआरसीएफवी के अंतर्गत ऐसे गांवों की पहचान कब तक कर ली गई है;

(ग) क्या सीआरसीएफवी के विकास को केंद्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत रखा गया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे गांवों में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और वे किस हद तक आर्थिक रूप से समृद्ध मछुआरों के गांव बन गए हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ख): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने तटीय समुदायों के लिए जलवायु अनुकूल विकास के महत्व को पहचानते हुए प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के 15 गांवों को शामिल करते हुए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तटरेखा के निकट स्थित मौजूदा 100 मछुआरों के गांवों को जलवायु अनुकूल तटीय मछुआरा गांवों (क्लाइमेट रेसिलिएंट कोस्टल फिशरमैन विलेज) (CRCFV) में विकसित करने की एक परिवर्तनकारी पहल की है। योजना के इस घटक का उद्देश्य इन 100 चयनित तटीय मछुआरों गांवों को मौसमी परिवर्तनों के आलोक में सशक्त (रेसीलिएन्ट) बनाने के लिए आवश्यकता-आधारित इन्फ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक गतिविधियाँ प्रदान करना है। निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार के परामर्श से राज्य के पंद्रह (15) गांवों की पहचान की है, जिनमें कृष्णा जिले में स्थित सोरलंगोंधी और गुल्लालमोड़ा शामिल हैं।

(ग) से (घ): CRCFVs का विकास PMMSY की केंद्रीय क्षेत्र योजना के घटक के अंतर्गत प्रति मत्स्यन गाँव 200 लाख रुपए की यूनिट लागत से कार्यान्वित किया जाता है। संपूर्ण लागत भारत सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चिन्हित 15 गाँवों के लिए कुल 30 करोड़ रुपए की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें प्रस्तुत की गई हैं, जिन्हें स्वीकृति दे दी गई है, और कार्यान्वयन के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को 7.5 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं।

इन गांवों में आरंभ किए गए कार्यक्रमों में आवश्यकता-आधारित इन्फ्रास्ट्रक्चरल सुविधाएं और आर्थिक गतिविधियाँ शामिल हैं। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, कुल व्यय का 70% इन्फ्रास्ट्रक्चरल सुविधाओं के लिए आरक्षित है और शेष 30% मात्स्यिकी संबंधी आर्थिक गतिविधियों के लिए। इन गांवों के लिए अनुमोदित इन्फ्रास्ट्रक्चर में फिश ड्राइंग प्लेटफ़ॉर्म, सौर ड्राइंग यूनिट्स, बहुउद्देश्यीय मात्स्यिकी केंद्र, कॉमन फिश मारकेट्स, हाई मास्ट सौर लाइटें और मौजूदा जेटी का अतिरिक्त सुविधाओं के साथ विस्तार शामिल हैं। आर्थिक हस्तक्षेपों में सौर लाइटें, सी वीड कल्चर फार्म, जीपीएस हैंडसेट, जीवन-रक्षक उपकरण (बॉय और जैकेट), आइस बॉक्स, और सी केज कल्चर शामिल हैं। एक बार इन हस्तक्षेपों को परिकल्पित रूप से लागू कर दिए जाने पर, ये मछुआरों के गांवों की क्लाइमेट रेसिलिएंस और आर्थिक जीवंतता को महत्वपूर्ण रूप से संवर्धित करेंगे ।

****